भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †2789

उत्तर देने की तारीख- 08/08/2024

आंध्र प्रदेश में पीएम-जनमन

†2789 श्री बी. के. पार्थसारथी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आंध्र प्रदेश राज्य में प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के आवास घटक के अंतर्गत राज्य-वार और जिला-वार कुल कितने लाभार्थियों की पहचान की गई है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में जिला-वार कुल कितने आवास स्वीकृत और निर्मित किए गए हैं;

(ग) आंध्र प्रदेश राज्य में प्रधान मंत्री-जनमन के अंतर्गत आवास घटक के लिए जिला-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) आंध्र प्रदेश राज्य में सभी पात्र लाभार्थियों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के परिवारों के व्यापक कवरेज और समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यनीतियां अपनाई गई हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग): ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के तहत आवास घटक को कार्यान्वित कर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सर्वेक्षण किए गए परिवारों, पात्र, स्वीकृत और निर्मित घरों का जिला-वार विवरण निम्नानुसार है:

ज़िला	सर्वेक्षण किये गये कुल परिवार (05.08.2024 तक)	पात्र	स्वीकृत
अल्लूरी सीतारामा राजू	27118	25541	7364
एलुरु	624	544	391
नंदयाल	614	588	451
पालनाडु	741	692	442
पार्वतीपुरम मान्यम	8715	5902	2373
प्रकाशम्	1035	728	438
श्रीकाकुलम्	2292	1959	1650
विजयनगरम	534	222	124
कुल	**41673**	**36176**	**13233***

*दिनांक 05.08.2024 तक कोई भी मकान पूरा नहीं हुआ है।

इस योजना के तहत केंद्र का हिस्सा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को एक इकाई मानकर, लक्ष्यों, देनदारियों और उपलब्ध अव्ययित शेष राशि के आधार पर सीधे जारी किया जाता है। इसके अलावा, विभिन्न जिलों में लाभार्थियों को ये धनराशि संबंधित राज्य द्वारा जारी की जाती है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, **पीएम जनमन** के तहत आंध्र प्रदेश राज्य को 42.49 करोड़ रुपये जारी किए गए।

(घ): राज्य सरकारों के साथ समन्वय में, आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, बैंक खाता जैसे बुनियादी दस्तावेजों के प्रावधान को सुविधाजनक बनाना था, जो पीएम किसान, आयुष्मान कार्ड, मनरेगा आदि सहित विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा, इन बुनियादी दस्तावेजों की तैयारी की सुविधा के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) को शामिल किया गया है।

*****